न्यायालय-वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश रींगस जिला-सीकर(राज.)

पीठासीन अधिकारी- **ममता रोहिला आर.जे.एस.**

विविध दीवानी सीआईएस संख्या- **45/2020**

1. कैलाश पुत्र नारायणलाल उम्र 44 साल,
2. बंशीधर पुत्र शंकरलाल उम्र 63 साल,
3. गिरधारी पुत्र नाथूराम उम्र 69 साल,
4. हनुमानसिंह पुत्र कजोडमल उम्र 60 साल,

निवासीगण पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

....प्रार्थीगण

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी रींगस जिला सीकर।
2. तहसीलदार रींगस जिला सीकर।
3. पटवारी पटवार हल्का पटवारी का बास जिला सीकर।
4. सांवरमल पुत्र झूंथाराम निवासी ढाणी बधाला की ग्राम पटवारी का बास जिला सीकर।
5. नरेन्द्रसिंह पुत्र भागीरथसिंह निवासी ढाणी खोखरा की ग्राम पटवारी का बास जिला सीकर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:

1.श्री रघुनाथसिंह शेखावत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

2.श्री दीपक बाजिया विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से।

3.श्री भंवरसिंह चौधरी विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4 व 5 की ओर से।

-- आदेश -- **दिनांक- 10.04.2026**

1. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं, कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया गया कि प्रार्थी सं. 1 से 3 एवं 4 के पिता के नाम भूमि खसरा नम्बर 2481/870, 2482/870, 2473/855, 2474/855, 849, 852, 854, 2471/850, 2472/850, 851/2, 2475/856, 2476/856 ग्राम पटवारी का बास में स्थित है जिन पर प्रार्थीगण शांतिपूर्वक अपनी अपनी भूमियों पर मकान बनाकर परिवार सहित आबाद है। प्रार्थीगण की भूमि को संलग्न नजरी नक्शे में बरंग लाल से दर्शित किया हुआ है। प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने का रास्ता आपसी सहमति से फसल बुवाई के समय सुविधानुसार पगडंडी के रूप में रखकर मौके पर काबिज है। मौके पर प्रार्थीगण की भूमि में अलग से कोई रास्ता नहीं निकाला हुआ है ना ही मौके पर रास्ता चालू है। प्रार्थीगण ने उक्त पगडंडी आपसी सहमति से छोड दखी है तथा

फसल अनुसार मौके पर आपसी सहमति से सुविधानुसार पगडंडी की जगह छोडकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण की आपसी सहमति से पगडंडी होने से अलग से राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करवाने की कभी आवश्यकता नहीं रही परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण व अन्य खातेदारों को नोटिस जारी किये बिना ही प्रार्थीगण की भूमि एवं खडी फसलों के बीच में से रास्ते का गलत अंकन राजस्व रिकार्ड में कर नये खसरा नम्बर डाल दिये जबकि मौके पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार कोई रास्ता कायम नहीं है। दिनांक 26.07.2018 को अप्रार्थी सं. 2 व 3 की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर बिना किसी रास्ते के ही प्रार्थीगण की भूमि में से रास्ते का अंकन मनमर्जी से कर दिया गया जबकि मौके पर कोई रास्ता नहीं है। मौके पर प्रार्थीगण ने अपनी फसल बुवाई कर रखी है। अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 18.09.2018 को आदेश जारी किये तथा उक्त रास्ते की भूमि भी दोनों सीमा के काश्तकारों की भूमि को सम्मिलित ना करते हुये अकेले प्रार्थीगण की भूमि में से ही रास्ते का गलत अंकन कर दिया गया। प्रूथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है और अगर अप्रार्थीगण अपनी उक्त कुचेष्टाओं में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थीगण का आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित तथा संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित प्रार्थीगण की भूमि में से जबरन रास्ता निकालने की कार्यवाही नहीं करे। अपने तर्को के समर्थन में प्रार्थी कैलाश ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है।

2. अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से प्रार्थीगण के आवेदन का जवाब पेश कर अभिकथन किया गया कि जिस जगह गैर मुमकिन रास्ता काटा गया है वह प्रचलित रास्ता था, वहां पर कोई आबादी जमीन नहीं है। मौके पर कदीम से प्रचलित रास्ता चलन में है जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग से बट्टा नम्बर डाले गये है। राजस्व रिकार्ड में अंकित रास्ते के अनुसार मौके पर रास्ता चालू है। उत्तरदाता द्वारा मौके पर प्रचलित रास्ते की पूरी जांच कर विधि अनुसार रास्ते के रूप में अंकन किया गया है। उत्तरदाता द्वारा मौके की भौतिक रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 18.09.2018 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार आराजीयात पर चालू प्रचलित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है। प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों द्वारा उत्तरदाता द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध सक्षम अपीलीय न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त जयपुर में अपील कैलाशचंद बनाम उपखण्ड अधिकारी मु.नं. 08/2019 पेश कर रखी है जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा गया है। विवादित आराजीयात जिसकी किस्म वर्तमान समय में मौके एवं राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज चली आ रही है। इस आराजीयात के सम्बन्ध में किसी भी तरह की चाराजोही करने का राजस्व न्यायालय को

ही क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन सव्यय खारिज किया जावे।

3. अप्रार्थी सं. 4 व 5 की ओर से प्रार्थीगण के आवेदन का जवाब पेश कर अभिकथन किया गया कि जिस जगह गैर मुमकिन रास्ता काटा गया है वह प्रचलित रास्ता था, वहां पर कोई आबादी जमीन नहीं है। प्रार्थीगण स्वयं द्वारा या पूर्वजों द्वारा कई बार सहमति शपथ पत्र व इकरारनामा द्वारा दी गई है। मौके पर रास्ता आज भी चालू है किसी प्रकार की रूकावट नहीं है। जैसा मौके पर रास्ता चालू था उसके अनुसार पटवारी, तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक रास्ते का अंकन किया गया है। उक्त प्रचलित रास्ते बाबत् 1990 में प्रार्थीगण के बुजुर्गो द्वारा व्यवधान किया गया उस समय 01.10.1990 को लिखावट हुई थी उसमें प्रार्थी सं. 1 के पिता नारायण, प्रार्थी सं. 3 के पिता नाथूराम की अंगूठा निशानी, प्रार्थी सं. 4 के हस्ताक्षर एवं इसके पिता कजोड की अंगूठा निशानी है। उक्त रास्ते में व्यवधान डालने पर पुनः दिनांक 18.01.2004 को इकरारनामा लिखा गया था जिस पर प्रार्थी सं. 1 के पिता की अंगूठा निशानी है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में पंचायत समिति श्रीमाधोपुर द्वारा ग्रेवल सडक के लिये 08 लाख रूपये का बजट पारित किया गया परन्तु प्रार्थीगण एवं उसके परिवारजन द्वारा बाधा डालने के कारण कार्य नहीं हो सका। इसी रास्ते से आगे चलकर गोपाल के मकानों के पास सिंगल फैसल ट्यूबबैल लगाया गया जिसमें भी खातेदारों ने अपनी सहमति स्वरूप दिनांक 30.09.2014 को एक शपथ पत्र दिया गया। उक्त रास्ते बाबत् सर्वसम्मति से दिनांक 05.07.2018 को प्रस्ताव लिया गया कि खसरा नम्बर 850/2, 855, 856, 866, 867, 870, 875 पटवारी का बास में होकर वर्तमान में रास्ता चालू व प्रचलित है। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 18.03.2018 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। उक्त रास्ते बाबत् राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद के क्रम में पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 04.09.2020 को दी गई थी, उस समय राजस्व रिकार्ड के अनुसार रास्ता चालू होकर आज भी बदस्तूर चालू है। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के आदेश की प्रार्थीगण द्वारा अति. संभागीय आयुक्त जयपुर में अपील कैलाशचंद बनाम एसडीओ मु.नं. 08/2019 पेश की गई थी जिसमें अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 01.09.2021 एसडीओ श्रीमाधोपुर के आदेश को यथावत रखते हुये पुराने प्रचलित रास्ते को राज्य सरकार के परिपत्र प.3(2) राज.6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं जिला कलेक्टर सीकर के पत्रांक 2619-44 द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की गई है। भूमि के खातेदारी अधिकारों में कोई

परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के आदेश दिनांक 01.09.2021 की अपील राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। उक्त भूमि के अन्य खातेदारों द्वारा भी अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर में अपील दिनांक 07.04.2021 को पेश की गई है वह भी विचाराधीन है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त् कटान के रास्ते में व्यवधान करने पर उत्तरदाता द्वारा प्रशासन गांवों के संग कैम्प पटवारी का बास में उपतहसीलदार के यहां आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें शिकायत होने पर प्रार्थीगण द्वारा गाडे गये पत्थर हटा लिये गये और पटवारी हल्का पटवारी का बास द्वारा उपतहसीलदार रींगस को रिपोर्ट दिनांक 31.01.2022 दी गई थी जिसमें राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर मुमकिन रास्ता निर्बाध रूप से चालू होकर रास्ता कदीमी है। प्रार्थीगण व अन्य खातेदारों ने इसी भूमि बाबत् तहसीलदार रींगस में वर्ष 2023 में बंटवारा लेख पेश किया गया था जिसमें न्यायालय में स्थगन आदेश होने के उपरान्त उक्त रास्ते की जमीन की सहमति दते हुये बंटवारा लेख तस्दीक करवाकर अपनी अपनी भूमियों को अलग करवा लिया तथा एसडीओ श्रीमाधोपुर के दिये गये रास्ते के आदेश के बावजूद खसरा नम्बर 2480/867 में से एक रास्ता और कटवाया गया है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन सव्यय खारिज किया जावे।

4. उभय पक्ष द्वारा अपने समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये एवं अपने-अपने समर्थन में दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये हैं।

5. अस्थायी व्यादेश प्राप्ति के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गयी। मूल वाद की पत्रावली व विविध दीवानी प्रकरण की पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। इस प्रकरण में मामलें के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु न्यायालय को निम्न तीन बिन्दुओं पर विवेचना करनी है:-

प्रथम दृष्ट्या मामला,

सुविधा का संतुलन व

अपूर्णीय क्षति।

6. उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर न्यायालय का विनिश्चय निम्न प्रकार से है:-

7. **प्रथम दृष्ट्या मामला:**

प्रथम दृष्ट्या प्रकरण के सम्बन्ध में न्यायालय को सर्वप्रथम यह अभिनिर्धारित करना होता है कि क्या प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष सद्भाविक रूप से ऐसा कोई सारवान प्रश्न रख दिया है, जिस पर प्रथम दृष्ट्या ही जांच की आवश्यकता हो।

8. दौराने बहस प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने आवेदन में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है तथा यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थी सं. 1 से 3 एवं 4 के पिता के नाम भूमि खसरा नम्बर 2481/870, 2482/870, 2473/855, 2474/855, 849, 852, 854, 2471/850, 2472/850, 851/2, 2475/856, 2476/856 ग्राम पटवारी का बास

में स्थित है जिन पर प्रार्थीगण शांतिपूर्वक अपनी अपनी भूमियों पर मकान बनाकर परिवार सहित आबाद है। प्रार्थीगण की भूमि को संलग्न नजरी नक्शे में बरंग लाल से दर्शित किया हुआ है। प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने का रास्ता आपसी सहमति से फसल बुवाई के समय सुविधानुसार पगडंडी के रूप में रखकर मौके पर काबिज है। मौके पर प्रार्थीगण की भूमि में अलग से कोई रास्ता नहीं निकाला हुआ है ना ही मौके पर रास्ता चालू है परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण व अन्य खातेदारों को नोटिस जारी किये बिना ही प्रार्थीगण की भूमि एवं खडी फसलों के बीच में से रास्ते का गलत अंकन राजस्व रिकार्ड में कर नये खसरा नम्बर डाल दिये तथा दिनांक 26.07.2018 को अप्रार्थी सं. 2 व 3 की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर बिना किसी रास्ते के ही प्रार्थीगण की भूमि में से रास्ते का अंकन मनमर्जी से कर दिया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 18.09.2018 को आदेश जारी किये गये तथा उक्त रास्ते की भूमि भी दोनों सीमा के काश्तकारों की भूमि को सम्मिलित ना करते हुये अकेले प्रार्थीगण की भूमि में से ही रास्ते का गलत अंकन कर दिया गया। प्रूथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है और अगर अप्रार्थीगण अपनी उक्त कुचेष्टाओं में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थीगण का आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

9. इसके विपरीत दौराने बहस अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्तागण ने प्रार्थीगण के उक्त तर्को का पुरजोर खण्डन किया एवं तर्क दिया गया कि जिस जगह गैर मुमकिन रास्ता काटा गया है वह प्रचलित रास्ता था, वहां पर कोई आबादी जमीन नहीं है। मौके पर कदीम से प्रचलित रास्ता चलन में है जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग से बट्टा नम्बर डाले गये यहै। राजस्व रिकार्ड में अंकित रास्ते के अनुसार मौके पर रास्ता चालू है। उत्तरदाता द्वारा मौके पर प्रचलित रास्ते की पूरी जांच कर विधि अनुसार रास्ते के रूप में अंकन किया गया है। उत्तरदाता द्वारा मौके की भौतिक रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 18.09.2018 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार आराजीयात पर चालू प्रचलित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है। प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों द्वारा उत्तरदाता द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध सक्षम अपीलीय न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त जयपुर में अपील कैलाशचंद बनाम उपखण्ड अधिकारी मु.नं. 08/2019 पेश कर रखी है जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा गया है। विवादित आराजीयात जिसकी किस्म वर्तमान समय में मौके एवं राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज चली आ रही है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन सव्यय खारिज किया जावे।

10. बहस अस्थाई निषेधाज्ञा उभयपक्ष प्रथम दृष्टया मामलें के सम्बन्ध में प्रस्तुत तर्क वितर्क पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रलेखों का अवलोकन किया गया तथा सम्बन्धित विधि का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

11. अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का साम्य व सद्विवेक के आधार पर निस्तारण किये जाने की व्यवस्था है तथा प्रार्थीगण को वादग्रस्त विषय वस्तु में अधिकार सृजित होना प्रकट होता है और प्रतिपक्षी पक्षकार द्वारा प्रार्थीगण के अधिकारों का विधि विरूद्ध उल्लंघन किया जाना प्रकट होता है तो प्रार्थीगण को वांछित अनुतोष संबंधी उपचार प्रदान करके न्यायालय द्वारा संरक्षण दिया जाता है। इसके विपरीत यदि प्रार्थीगण का न्यायालय के समक्ष शुद्ध हस्त से आना प्रकट नहीं होता है तथा स्वयं प्रार्थीगण द्वारा ही साम्य विचलित किया जाना प्रकट होता है तो प्रार्थीगण को वांछित अनुतोष का उपचार देते हुए न्यायालय स्तर पर संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता।

12. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक अभिवचनों एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का कथन रहा है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमियों में वे मकान व बाडा बनाकर शांतिपूर्वक काबिज है जिसमें अलग से कोई रास्ता नहीं निकला हुआ है जबकि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 द्वारा राजनैतिक पहुंच के कारण कार्यालय में बैठे बैठे ही प्रार्थीगण की भूमि में से रास्ते का गलत अंकन राजस्व रिकार्ड में कर नये खसरा नम्बर डाल दिये गये जबकि मौके पर कोई रास्ता नहीं है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण का कथन रहा है कि प्रार्थीगण की दावाकृत आराजीयात पर कदीम से प्रचलित रास्ता रहा है जिसकी विधि अनुरूप जांच किये जाने के पश्चात् रास्ते के रूप में अंकन किया गया है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करे तो अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 05.07.2018 का ग्राम पंचायत पटवारी का बास की बैठक की कार्यवाही का रजिस्टर पेश किया गया है जिसमें प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित रास्ता चालू होना उल्लेखित है। इसके अतिरिक्त पटवार हल्का पटवारी का बास द्वारा उपतहसीलदार, उपतहसील रींगस को प्रेषित पत्र दिनांकित 31.01.2022, तहसीलदार रींगस द्वारा जिला कलेक्टर को प्रेषित पत्र दिनांकित 24.01.2024 पटवारी द्वारा तहसीलदार रींगस को प्रेषित जांच रिपोर्ट दिनांकित 23.01.2024 में विवादित रास्ता चालू होना उल्लेखित है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के आदेश दिनांकित 18.09.2018 का अवलोकन करे तो तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर विधि अनुसार विवादित रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने का आदेश पारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा पारित आदेश सम्भागीय आयुक्त द्वारा पुष्ट किया जाना व वर्तमान में अपील राजस्व मंडल के समक्ष लम्बित होना भी पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य

प्रथम दृष्टया पेश नहीं की गई है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर किसी भी प्रकार की ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रथम दृष्टया प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किये बिना साम्य के सिद्वान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है तथा यह बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिः

13. सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के दोनों बिन्दु परस्पर एक-दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सुविधा की दृष्टि से दोनों बिन्दुओं का एक साथ निस्तारण किया जाना समुचित प्रतीत होने से एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

14. प्रथमदृष्टया मामले के बिन्दु पर विस्तृत विवेचन व विश्लेषण के क्रम में पारित निष्कर्ष के अंतर्गत प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित होना नहीं पाया गया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण के पक्ष में यदि अस्थायी निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो उससे अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के मुकाबले अधिक अपूर्णीय क्षति होना दर्शित होता है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा निर्गमित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध होगा। अतः प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति नहीं होना व सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में नहीं होना प्रकट होता है। साथ ही प्रथम दृष्टया सुदृढ़ मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने की स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष दिये जाने का कोई आधार भी नहीं होने के कारण उपरोक्त दोनों बिन्दु तदनुसार प्रार्थीगण के विरूद्ध विनिश्चित किये जाते हैं।

15. उपर्युक्त तीनों बिन्दुओं के विनिश्चिय व प्रकरण में समग्र रूप से विचारण के पश्चात् प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किये जाने योग्य है।

-- आदेश --

16. अतः मूल वाद के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण कैलाश वगैरा का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी वगैरा एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली शामिल मूल वाद की जाऐ।

(ममता रोहिला)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
रींगस जिला-सीकर(राज.)

17. आदेश आज दिनांक 10.04.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(ममता रोहिला)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
रींगस जिला सीकर(राज.)